राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध अंतरिम जमानत आवेदन संख्या 258/2024

रामा राम पुत्र जुगता राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी गोनारी नाडी, रावतसर, बाड़मेर सदर थाना, बाड़मेर, जिला बाड़मेर। (उप कारागार, पिंडवाड़ा में बंद)।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी के लिए : श्री जयकिशन हनिया

प्रतिवादी के लिए : श्री विक्रम शर्मा, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

01/03/2024

1. याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल अंतरिम जमानत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें उसके पिता जुगता राम उम्र लगभग 60 वर्ष की बीमारी के आधार पर उसे एक महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 और 8/29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता कार्सिनोमा हाइपोफायरीनक्स (स्यूमस सेल कार्सिनोमा) नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जो गले में कैंसर है, जिसके लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। बेटा होने के नाते याचिकाकर्ता को सर्जरी के समय अपने पिता के साथ रहना जरूरी है। उन्होंने अदालत का ध्यान याचिकाकर्ता के पिता के विभिन्न मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड और डिस्चार्ज टिकट की ओर आकर्षित किया है। गांव रामसर का कुआं के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अपनी ईमानदारी को प्रदर्शित करने के लिए, आवेदक न्यायालय द्वारा

उचित समझी गई राशि में "सुरक्षा के रूप में" नकद राशि जमा करने के लिए तैयार है। अंत में, उन्होंने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को एक महीने के लिए अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाए।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने अंतरिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उसके भागने की संभावना है। आवेदक के अन्य परिवार के सदस्य उसके बीमार पिता की देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है जिसके लिए आवेदक को स्वयं शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता हो। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराधों की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

4. आवेदक के विद्वान वकील, विद्वान सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

5. याचिकाकर्ता के पिता की बीमारी का तथ्य विवादित नहीं है, बल्कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर और जोधपुर और बाड़मेर के कुछ अन्य अस्पतालों के विभिन्न उपचार रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होती है।

6. वह पहले से ही कीमो रेडिएशन थेरेपी से गुजर रहा है और मेडिकल दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संकेत मिलता है कि गले का कैंसर उसके कानों को भी प्रभावित कर रहा है। उसकी हालत गंभीर है। याचिकाकर्ता ने डॉक्टर का एक पर्चा प्रस्तुत किया है, जिसमें डॉक्टर ने सलाह दी है कि मरीज को सर्जिकल उपचार की आवश्यकता है।

7. न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में विद्वान लोक अभियोजक ने गांव के सरपंच की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने पिता का इकलौता पुत्र है। साथ ही याचिकाकर्ता के पिता को उचित एवं पर्याप्त उपचार के साथ-साथ देखभाल भी दी जानी चाहिए।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, रोगी का पुत्र होने के नाते तथा याचिकाकर्ता को अपने गंभीर रूप से बीमार पिता को उचित चिकित्सा देखभाल और भावनात्मक सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि मानवीय आधार पर और न्याय के हित में, आरोपी याचिकाकर्ता की वर्तमान अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे उसके पिता जुगता राम की बीमारी के आधार पर तीन सप्ताह (21 दिन) की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

9. परिणामस्वरूप, वर्तमान अंतरिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता रामा राम पुत्र जुगता राम, जिसे पुलिस स्टेशन पिंडवाड़ा, जिला सिरोही की एफआईआर संख्या 277/2022 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को जेल से उसकी वास्तविक रिहाई की तारीख से 21 दिन (तीन सप्ताह) की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। यह इस शर्त के अधीन है कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के नाम से 2,50,000/- रुपये की राशि का राष्ट्रीय स्तर के बैंक का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 2,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड और 1,00,000/- रुपये की दो ठोस जमानतें भी प्रस्तुत करेगा। इनमें से, अधिमानतः एक जमानतदार याचिकाकर्ता का कोई रिश्तेदार होगा जिसके पास अचल संपत्ति के दस्तावेज होंगे।

10. याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान मरीज को दिए गए उपचार के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे और उसके बाद ही नकद सुरक्षा राशि उसे वापस की जाएगी।

11. किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता को उपरोक्त अंतरिम जमानत की अवधि का लाभ उठाने के बाद संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। उसके आत्मसमर्पण करने पर, ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता को जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट वापस कर देगा। यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त शर्त के अनुसार आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो ट्रायल कोर्ट डिमांड ड्राफ्ट की राशि संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कोष में जमा कर देगा।

12. आवेदन का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।